

उत्तम आधार पर होगा। नीचे विहित विधि द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु नीचे का पुनर्विचार किया जाता है, तो फीस की गणनाएं भी लागू होंगी।

- ✓ सत्र 01 (2020) प्रारंभिक शिक्षा संविधानों तथा उन संविधानों संघर्षों को सम्बद्ध शिक्षा उत्तर) विभागाधीन-2020 को जारी कर अनुपालन कराया होगा।
- ✓ सत्र 01 में संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा; सीटों के लिए वह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी।
- ✓ सत्र 01 को सत्र-सत्र पर निर्णय सातवें दिनांक अनुसार विहित एवं सम्बद्ध शुल्क जमा कराया होगा।
- ✓ सत्र 01 को एडमिशन/रेजिस्ट्रेशन/विशेषीकरण से आगामी सत्र हेतु अनुपालन प्राप्त किया जाकर आधारभूत होगा।
- ✓ सत्र 01 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपनाये गये विधि/विधियों/अविवरणों/सातवें दिनांक/विशेषी एवं निर्देश, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च, मातृका प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च एवं प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उच्च द्वारा किये गये विधियों, विनियमों आदेशों, निर्देशों का पालन करने में निर्णय प्राप्त होगी।
- ✓ विनियम एवं कार्यवाही पदचरम की सहायता यदि ऐसी नहीं है, तो विनियम से अनुपालन प्राप्त करने में अग्रसर रहना है तो इस समय से उत्तर प्रदेश परीक्षा परिषद का होगा और विहित रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए सत्र 01 पर उत्तरदायी होगी। प्रारंभिक शिक्षा परिषद, मातृका प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रारंभिक शिक्षा विभाग तथा प्रारंभिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी मद प्राप्त किया जाता है तथा उच्च एवं उच्च शिक्षा में या 'साधारण' द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही आदेश निर्गत किया जाता है तो सत्र 01 प्रतिकूल कार्यवाही करने की जाएगी होगी।
- ✓ विनियम एवं कार्यवाही पदचरम सहायता करने वाली कार्यवाही को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्राप्त होने के लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षा हेतु अनिवार्य रूप से होने के तुरंत एडमिशन/रेजिस्ट्रेशन से अनुपालन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को आवश्यक प्रदान होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (आवश्यकता से सहाय्य में अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुपालनी नहीं कराने की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्णय गणनात्मक आंकड़ों के आधार पर अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ सत्र 01 को अपने वेबसाइट पर सत्र 01 के सफल शुल्क जमा करने सत्र 01 के एडमिशन/रेजिस्ट्रेशन/विशेषीकरण, सत्र-सत्र, उच्च-उच्च, उच्च-उच्च, उच्च शिक्षा करने के माध्यम से सत्र 01, सातवें दिनांक/विशेषीकरण के आधार पर सत्र 01 को सत्र 01 के लिए निर्णय प्राप्त होगा।
- ✓ सत्र 01 को शिक्षा-प्रवर्धन हेतु संयुक्त प्रशासन उपायों को सत्र 01 के लिए निर्णय प्राप्त करने में सहाय्य में अग्रसर कार्यवाही करनी होगी।
- ✓ सत्र 01 का सुविचार है कि सत्र 01 में प्रारंभिक/सहाय्य पदचरम को कालों को हेतु निर्णय लक्षित को सत्र 01 के आधार पर सत्र 01 पर अग्रिम/सुविचार/सहाय्य/उत्तरदायी का यदि सत्र 01 द्वारा किसी अन्य साधारण को संभालने में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि सत्र 01 उत्तर प्रदेश का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सत्र 01 के सम्बद्ध सत्र 01 के सम्बद्ध सत्र 01 को अनुपालन की जाएगी।
- ✓ सम्बद्ध सत्र 01 का अनुपालन न मिले जाने अथवा सत्र 01 का अनुपालन लिये जाने की स्थिति में विनियमों अनुपालन/सहाय्य कार्यवाही की जाएगी।

(सत्र 01 के लिए शिक्षा) सचिव

पुस्तक- प्रारंभिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-2141

तारीख दिनांक 15-08-2020

प्रारंभिक-प्रशासकीय/निदेशक, आलका कानूनी, इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, बरल, प्रताप, मेरठ।

(सत्र 01 के लिए शिक्षा) सचिव

PRINCIPAL
KALRA INSTITUTE
FOR ADVANCED STUDIES, MEERUT.

KALRA INSTITUTE
FOR ADVANCED STUDIES, MEERUT

आवृत्त

अभिन. प्राविधिक शिक्षा परिषद.

इसेस प्रवेश सम्बद्धता

संख्या - प्राविधिकपरिषद सम्बद्धता/2021/3537

संख्या- दिनांक: 09/08/2021

कार्यलय ज्ञाप.

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यालय अंधा इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विभिन्न राष्ट्रीय/राज्यीय शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदित प्रदान किए जाने के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/08/2021 से सम्बद्धता/सम्बद्धता विवरण प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यलय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघनित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश सम्बद्धता इदि सहित अन्य बातें पर विचार किये हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निम्ने गये निर्णय के अनुकूल में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/08/2021 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विमोदित करने के अर्थात पाठ्यक्रम एवं उसमें अभिन प्रवेश सम्बद्धता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 1904-KALRA PHARMACY INSTITUTE FOR ADVANCE STUDIES, BARAL, PRTAPUR, MEERUT.

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	संस्था/संस्थान का नाम	सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	एच.आर्.डी.सी.टी.डी.सी.पी.सी.आई.टी.एस. द्वारा	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच.आर्.डी.सी.टी.डी.सी.पी.सी.आई.टी.एस. द्वारा निर्धारित की शर्तें शर्तें शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेक्टर विनियमवली 2010 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क और वार्षिक इंडीय पाठ्यक्रमों हेतु रु० 20150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्योत्तरी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्योत्तरी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही पर्यवेक (उपरोक्त) में प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त (आवृत्त/सत्र) में शुल्क के सम्बन्ध में संस्था-समय पर सल्लम द्वारा निर्देश किये जाने वाले सामग्रीय प्रकाशो होगे, और तदनुसार कार्यवाही किया अन्य आवश्यक होमा। कृपया निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु कीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो कीस को नवीनतम ही लागू होगी।
- ✓ संस्था को 30/08 प्राविधिक शिक्षा समिति तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जमा। विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित (एच) को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विचार क्ये जाने की दिशा में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।


 PRINCIPAL
 KALRA PHARMACY INSTITUTE
 FOR ADVANCED STUDIES MEERUT



PRINCIPAL
KALKA PHARMACY INSTITUTE
FOR ADVANCED STUDIES, MEERUT.



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय

उच्च शिक्षण विभाग परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या - प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

तखनऊ दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय कायदा

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संवत् हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संवर्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य गटो पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

क्र.सं०	पठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0ए0पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0ए0पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1952 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1922, विनियमवली-2000, सेक्टर विनियमवली-2018 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजेंट पठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मसी पठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मसी पठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों प्रभावी होने और अनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा एक्ट सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनताम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में अयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अवधित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ शासन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि विनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं विदेशक, प्राविधिक शिक्षा


 PRINCIPAL
 KALKA PHARMACY INSTITUTE
 FOR ADVANCED STUDIES, MEERUT

